कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः198/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–17(गौतम0)/521 दिनांकः नवम्बर 30, 2017,

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स आई0आई0टी0एल0 निम्बस (दा एक्सप्रेस पार्क व्यू) द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–03, सेक्टर चाई–05, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित आवासीय भवन "दा एक्सप्रेस पार्क व्यू–02" के (टावर नं0–आई0, जे0, एवं के0) कुल 03 अदद टावरों की कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडीः2017/34183/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/7306/जे0डी0

महोदय,

कृपया आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवनों का कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री अरूण कुमार सिंह/अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा एवं उनके लिंक अग्निशमन अधिकारी तथा भवन स्वामी के प्रतिनिधि की संयुक्त कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 27–11–2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र मेरठ श्री अमन शर्मा को प्रेषित की गयी जिसका उनके द्वारा परीशीलन कर अपनी संस्तुति दिनांकः 28–11–2017 इस कार्यालय को प्रेषित की गई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

**प्रश्नगत भवन को पूर्व मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरणः–** भ–37/सीएफओ/जीबीएन–12(जीएन)/1755 दिनांकः 04–09–2012 के द्वारा प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

भवन की संरचनाः– कुल प्लाट एरिया–52,493.00 वर्ग मी0 है जिसमें निर्मित 03 अदद टावरों का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत हैः–

| क्र0सं0 | नाम टावर | तलों का विवरण | भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0। | टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0। | स्टेयर की संख्या एवं चौडाई मी0। | ऊचॉई मी0। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | टावर–आई0 | बेस0 भूतल एवं 21 तल | 587.79 | 549.189 | 02 अदद 01.50/01.20 | 69.425 |
| 02 | टावर–जे0 | बेस0 भूतल एवं 21 तल | 537.308 | 498.595 | 02 अदद 01.50/01.20 | 69.425 |
| 03 | टावर–के0 | बेस0 भूतल एवं 21 तल | 537.308 | 498.595 | 02 अदद 01.50/01.20 | 69.425 |
| 04 | बेसमेन्टः–प्रश्नगत भवन में सिंगल बेसमेन्ट जिसका कवर्ड एरिया–13011.026 वर्ग मी0 है। | | | | | |

**भवन का अधिभोगः**–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2005 की आवासीय भवन श्रेणी ए0–04 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

**ढांचागत व्यवस्थाऐंः–**

1–**पहुँच मार्गः–** प्रश्नगत भवन के सामने 45.00 मी0 चौडा रोड मानको के अनुसार उपलब्ध है एवं प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई 06.00 मी0 एन0बी0सी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2–**सैटबेकः–** प्रश्नगत भवन के सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–25.00 मी0। बी0–पृष्ठ भाग–09.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–09.00 मी0। डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0।

प्रश्नगत परिसर में बहुमंजिली भवनों के चारो ओर अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं हेतु 06–06 मी0 का मोटरेबुल मार्ग उपलब्ध है जिसको सदैव ओपन टू स्काई रखा जाना अनिवार्य होगा, सैटबेक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निमार्ण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नही होगी। सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये।

3–**निकास मार्गः–** प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर में उपरोक्तानुसार तालिकानुसार स्टेयरकेस प्राविधानित है। तथा बेसमेन्ट में अतिरिक्त रैम्प उपलब्ध है, जिनकी भवन के समस्त स्थानो से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

4–**रिफ्यूज एरियाः–** प्रश्नगत भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है, जो मानको के अनुसार है।

**अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था–** प्रश्नगत भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया एवं उसमे सन्दर्भित सम्बन्धित बी0आई0एस0 मानक के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निम्न स्थापित पाई गईं जिनका विवरण निम्नवत हैः–

1–**होजरील/डाउनकामरः**–प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाइप एवं ब्रान्च पाईप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा मे पाई गई।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

**2–भूमिगत टैंक:–** प्रश्नगत भवन परिसर मे अग्निशमन कार्य हेतु 2,75,000 दो लाख पिचत्तर हजार ली0 क्षमता का भूमिगत टैंक मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा मे है।

**3–पम्प:–** प्रश्नगत भवन मे भूमिगत टैंक के पास 02 अदद विद्युत चालित मैन फायर पम्प क्षमता 2280 एल0पी0एम0, व समकक्ष क्षमता का डीजल चालित पम्प एवं 02 अदद जौकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 मानको के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है, जो आटोमोड पर है।

**4–टेरिस टैंक:–** प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक 25,000 हजार ली0, क्षमता का मानको के अनुसार स्थापित एव कार्यशील दशा मे है।

**5–टेरिस पम्प:–** प्रश्नगत भवन में टेरिस पम्प मानक के अनुसार वांच्छनीय नही है।

**6–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):–** सम्पूर्ण भवन में भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गये।

**7–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:–**सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।

**8–आटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:–** प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों मे आटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।

**9–आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:–**सम्पूर्ण भवन के बेसमेन्ट एवं समस्त टावरों के सम्पूर्ण तलों पर आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।

**10–वेटराईजर–** प्रश्नगत भवन मे वेटराईजर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार उपलब्ध है।

**11–यार्ड हाईड्रेण्टस:–**सम्पूर्ण भवन परिसर मे यार्ड हाईड्रेण्टस, हौज बाक्स मय डिलीवरी होज पाइप, तथा ब्रान्च पाईप स्थापित तथा कार्यशील दशा मे पाये गये।

**12–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम:–**प्रश्नगत भवन मे एक बेसमेन्ट है जिसमे नैचुरली वैन्टीलेशन मानको के अनुसार उपलब्ध है।

**13–प्रेशराईजेशन:–** प्रश्नगत भवन में प्रेशराईजेशन वांच्छनीय नही है।

**14–एग्जिट साईनेज:–**सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साईनेज की स्थापना मानको के अनुसार है।

**15–पी0ए0 सिस्टम:–**सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम की स्थापना मानको के अनुसार है।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स आई0आई0टी0एल0 निम्बस (दा एक्सप्रेस पार्क व्यू) द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–03, सेक्टर चाई–05, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित आवासीय भवन "दा एक्सप्रेस पार्क व्यू–02" के (टावर नं0–आई0, जे0, एवं के0) कुल 03 अदद टावरों में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1–भवन प्रबन्धक को निर्देशित करने का कष्ट करे कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2–भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर–सी0–6 के अनुसार नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त रखा जाये।

3–भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व नौएडा/ग्रेटर नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4– भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा एन0बी0सी0–2005 के एनेक्स–ई–3 के अनुसार इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान तैयार कर इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

5– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

उपरोक्त के विपरीत किसी भी कार्य के लिये भवन स्वामी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि: 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

3–अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

4–मैसर्स आई0आई0टी0एल0 निम्बस द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–03, सेक्टर चाई–05, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।